अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227884 ई–मेल seprd1235@gmail.com

क्रमांक एफ 4(1111) पराविं/पीसी/विविध/22–00409 जयपुर दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यालय भवनों में रंग रोगन का कार्य करवाये जाने के संबंध में।
संदर्भः राज्य वित्त आयोग–षष्ठम हेतु दिनांक 28.01.2025 को जारी विभागीय दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा–निर्देशानुसार बिन्दू संख्या XVII ''पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन एवं XVIII पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण/उन्नयन कार्य अनुमत है।'' इसके अन्तर्गत विद्यालय भवनों में रंग–रोगन का कार्य भी कराया जा सकता है। विद्यालय भवनों का सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन एवं समुदाय में विद्यालय की पहचान सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह कार्य महत्वपूर्ण है, अतः उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान राजकीय विद्यालयों के भवनों में तत्काल रंग रोगन कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान राजकीय विद्यालय भवनों में रंग–रोगन का कार्य मध्यावधि अवकाश (दीपावली अवकाश– दिनांक 13.10.2025 से दिनांक 24.10.2025) के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जावे।
2. इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) से रंग–रोगन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों की सूची प्राप्त की जावे।
3. रंग रोगन कार्य हेतु आवश्यकतानुसार राशि राज्य वित्त आयोग– षष्ठम् योजना अंतर्गत व्यय की जा सकेगी [अधिकतम रु. 1.00 लाख (एक लाख रुपये तक की)]।
4. रंग–रोगन कार्य हेतु उच्च गुणवत्ता का पेंट/कलर उपयोग में लिया जावे। प्राथमिकता से पर्यावरण–अनुकूल एवं दीर्घकालीन टिकाऊ पेंट का चयन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.09 22:14:24 IST
Reason: Approved

5. कार्य अधिकृत पद्धति से ही कराया जावे एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण किए गए कार्य की प्रगति (पूर्व एवं पश्चात् स्थिति के फोटो सहित) जिला परिषद कार्यालय को प्रस्तुत कर, विभाग को प्रेषित किया जावे।
6. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों पर संलग्न कलर–कोड के अनुसार ही रंग–रोगन/पेंट किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि पंचायत राज संस्थाओं के अधीन सभी राजकीय विद्यालय भवनों में रंग रोगन का कार्य उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप, निर्धारित समयसीमा एवं व्यय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन विभाग को प्रेषित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार कलर कोड।

(डॉ जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः –

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त महोदया, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. निजी सहायक, निदेशक महोदया, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग मुख्यालय।
12. सम्पादक महोदया, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एंव आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.09 22:14:24 IST
Reason: Approved